भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1378

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

1378. श्री मुरसोली एस.:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) पीएमकेएसवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर जिले के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई; और

(घ) उक्त अवधि में तंजावुर जिले में इस योजना के लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से **(घ)**: भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉच की, जिसका उद्देश्य किसानों के खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना तथा सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि-योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को क्रियान्वित करना आदि है। पीएमकेएसवाई के तहत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

- **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी):** यह कार्यक्रम जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

  वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत देश में जारी निन्यानवे (99) प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरणों) को राज्यों के परामर्श से चरणों में पूरा

करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 9 अतिरिक्त परियोजनाओं को शामिल किया गया है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत रेणुकाजी, लखवाड़, शाहपुर कांडी, पोलावरम राष्ट्रीय परियोजनाओं और राजस्थान फीडर तथा पंजाब के सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग जैसी कुछ विशेष/राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए भी केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 के दौरान महाराष्ट्र के लिए एक विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में 83 सरफेस लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

तमिलनाडु की कोई भी परियोजना इससे पहले वर्ष 2016-2021 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं की गई थी। तथापि, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों को लाभ पहुँचाने वाली कन्नडियन चैनल नामक एक नई परियोजना को वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

- **हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी):** यह कार्यक्रम जल संसाधन**,** नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर**,** आरडी और जीआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्लूएम) कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से पीएमकेवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 2016 के दौरान स्वीकृत प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाओं की नई योजना के साथ, वर्ष 2016-17 से सीएडीडब्लूएम कार्य केवल 99 प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाओं तक सीमित हो गए।

पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम, गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेप कार्यक्रमों के अंतर्गत, 'भागीदारी सिंचाई प्रबंधन' को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें जल उपयोग दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि और भागीदारी वातावरण में सतत सिंचाई के संबंध में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूलनीय परीक्षण शामिल हैं।

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना (आरआरआर) की योजनाएं भी अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का ही हिस्सा बन गई हैं। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना (आरआरआर) योजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता सृजन और जीर्णोद्धार के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक यह योजना तमिलनाडु के तंजावुर जिले में क्रियान्वित नहीं की गई है।

- **वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई):** यह कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने पहले देश में जर्जर भूमि सहित वर्षा सिंचित /डिग्रेडेड क्षेत्रों के विकास के लिए 'समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम' क्रियान्वित किया था, जिसे वर्ष 2015-16 में एक घटक के रूप में पीएमकेएसवाई की अम्ब्रेला स्कीम के साथ मिला दिया गया था और इसे पीएमकेएसवाई का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) नाम दिया गया था। वर्ष 2021 के दौरान डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 1150 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। इन 1150 वाटरशेड परियोजनाओं में से 1.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 28 वाटरशेड परियोजनाओं को तमिलनाडु के लिए मंजूरी दी गई है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कोई वाटरशेड परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

इस योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों में, अन्य गतिविधियों के साथ-साथ, मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय, वर्षा जल संचयन उपाय, वनरोपण, बागवानी एवं चारागाह विकास, आजीविका गतिविधियां, उत्पादन पद्धति सहायता और क्षमता वर्धन आदि शामिल हैं। भूमि संसाधन विभाग ने इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से योजना की विशेषताओं और उपलब्धियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात् ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है।

- **प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी):** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है। पीडीएमसी, सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान पीडीएमसी योजना को पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया गया। वर्ष 2022-23 से यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना का प्रेस एवं प्रिंट मीडिया, लीफलेट/बुकलेट्स का प्रकाशन, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, किसान मेलों का आयोजन, राज्य/भारत सरकार के वेब पोर्टलों पर सूचना आदि के

माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार के द्वारा किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

तमिलनाडु के तंजावुर जिले को पीडीएमसी के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि तथा जिले में लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	उपलब्ध कराई गई धनराशि (रुपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	130	207
2016-17	407	1382
2017-18	-	-
2018-19	668	2849
2019-20	1420	3006
2020-21	1867	4732
2021-22	1062	2468
2022-23	627	1143
2023-24	902	1607
योग	**7083**	**17394**

*****